न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—107 / 12 (2012 / 00069) वाद पत्र

उनवान

1—हरिओम आत्मज श्यामलाल सेन (नाई) निवासी जोगरास तहसील रायपुर हाल निवास भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—श्यामलाल आत्मज सोहन नाई निवासी जोगरास हाल निवास डेलाना तहसील सहाड़ा
2—प्रेमी पुत्री सोहन नाई निवासी जोगरास हाल निवास घोड़ास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3—चान्दी पुत्री सोहन नाई निवासी जोगरास हाल निवास घोड़ास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
4—रेखा पुत्री श्यामलाल नाई नि. जोगरास हाल निवास तिलोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
5—बालु आत्मज नगंजी नाई निवासी जोगरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहेली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
7—उपपंजीयक महोदय कार्यालय रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित

1. हरिश टेलर — अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक 21.01.2021

पत्रावली आज में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादी एंव प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य होकर मूल पुरूष नंगजी के 2 पुत्र बालु व सोहन हुए जिसमें से सोहन की मृत्यु हो चुकी है जिसके 2 पुत्रीयां प्रेमी व चान्दी व 1 पुत्र श्यामलाल है जो वादी के पिता है तथा बालु स्वयं जीवित है जो सभी इस वाद में प्रतिवादीगण पक्षकार है। ग्राम जोगरास पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के संयुक्त हक अधिकार की पुश्तैनी व पैतृक कृषि आराजियात संख्या 880 रकबा 0.07 है0, 881 रकबा 0.15 है0, 888 रकबा 0.21 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 है0 भूमि खाता संख्या 379 पर दर्ज रेकार्ड होकर स्थित है इसी प्रकार खाता संख्या 377 में अकिंत आराजी संख्या 423 रकबा 2.16 है0 भूमि जो सोहन, बालु आत्मज नंगजी नाई के नाम दर्ज रकार्ड थी जिसमें वादी के दादा सोहन की मृत्यु होने से विरासत से यह भूमियां वादी के पिता श्यामलाल, प्रेमी, चान्दी के नाम पर आ गई। उक्त वर्णित आरायिजात पुश्तैनी होकर खाता संख्या 379 में अंकित आराजियात में वादी के पिता श्यामलाल का 1/6 हिस्सा दर्ज है जिसमें वादी का 1/18 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी 2 व 3 का 1/6, 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/2 हिस्सा निहित है एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 1 का 1/18, 1/18 हिस्सा है। इसी [illegible] खाता संख्या 377 में अकिंत आराजी में वादी के पिता श्यामलाल का 1/[illegible] जिसमें वादी का 1/9 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/3, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 का 1/9, 1/9 हिस्सा बनता है। उक्त [illegible] होकर वादी का हिस्सा उक्त अकिंतानुसार निहित है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 श्यामलाल का जायन्दा पुत्र होकर प्रथम श्रेणी का वारीस है। हिन्दु उत्तराधिकार नियम के तहत् उक्त वर्णित भूमियों में मेरा जन्म से ही हिस्सा व अधिकार निहित होकर प्रतिवादीगण के साथ साथ मेरा भी हिस्सा घोषित करवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.30 17:46:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज कराने का अधिकारी हुँ। प्रतिवादी संख्या 1 श्यामलाल जो वादी की माता का भी जानबुझकर कई वर्षो से परित्याग कर रखा है तथा हमारे हको से महरूम करना चाहता है। भूमियां उनके नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर भूमियों को अन्यत्र विक्रय करने पर आमादा हो रहा है जिससे प्रतिवादीगणो के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। खाता संख्या 379 में वादी का 1/18 हिस्सा एवं खाता सख्या 377 में निहित वादी का 1/9 हिस्सा निहित होकर वादी उसी अनुसार मौके पर काबिज है और भूमि अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज कराने का अधिकारी है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम जोगरास के बैरून हल्का आबादी में स्थित खाता संख्या 379 में अकिंत आराजियात किता 3 कुल रकबा 0.43 है0 भूमि में 1/18 हिस्से तथा खाता संख्या 377 में अकिंत आराजी संख्या 423 रकबा 2.16 है0 भूमि के 1/9 हिस्से का वादी खातेदार काश्तकार है तदनुसार वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाया जावे साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जावे कि ग्राम जोगरास के बैरून हल्का आबादी में स्थित खाता संख्या 379 व 377 में अकिंत आरायिजात को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नही करे तथा वादी के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की नाजायज दखलदांजी नही करे तथा न वादी को बेदखल करे न अन्य से करावे एवं उक्त वर्णित आराजियात का जरिये मीट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर विभाजन कराया जाकर खाता संख्या 379 में निहित वादी का 1/18 हिस्से का एवं खाता संख्या 377 में निहित वादी का 1/9 हिस्से का स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खाले जाने की विभाजन की अज्ञाप्ति बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 21.11.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1, 3 लगायत 6 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 28.03.2013 को उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व वादी अधिवक्ता द्वारा कोई प्रभावी दाद नही चाही गई। एंव प्रतिवादी संख्या 7 व 8 फौरमल पक्षकार है।

वाद के समर्थन में वादी द्वारा अपने बयान देते हुए पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड को प्रदर्शित कराया गया एवं वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में एकपक्षीय बहस की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस मुख्य रूप से निवेदन किया कि वादवर्णित भूमियां वादी की पैतृक भूमियां है जिसमें वादी का जन्म से ही अधिकार है वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 श्यामलाल द्वारा किसी अन्य महिला से नाता विवाह करने से वादी ओर उसकी माता को अलग कर वादी को पैतृक भूमि से वछिंत करने की नियत से भूमि विक्रय करने पर आमाद है जिस पर वादी द्वारा यह वाद पेश किया गया है। प्रतिवादी 1 श्यामलाल गावं में नही रहकर अन्यत्र रहे रहा है जिससे वादवर्णित भूमियों का वादी विभाजन नही करा मात्र संयुक्त खातेदारी में अपना हिस्सा घोषित करा कर दर्ज कराना चाहता है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार का प्रथम पत्नी का वारिस है साथ ही निवेदन किया कि न्यायालय का स्थगन होते हुए भी अपनी मनमर्जी से भूमि विक्रय कर दी है जो सम्पति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 52 के विपरीत है। न्यायालय द्वारा स्थगन के बावजुद भूमि विक्रय की गई जिससे वादी के हिस्से पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नही है। वादी अपना हक घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.30 17:46:05 IST
Reason: SelfAttested

कराने का अधिकारी है। वाद के समर्थन में सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 में वर्णित प्रावधान की प्रति एवं राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आरआरटी 2012 (1) लिखाराम बनाम बीरबल पेज 46 की प्रति पेश की गई एवं डीएनजे 2010 (1) पेज 421 सुरेन्द्रसिंह बनाम विश्वनाथ वगैरा की प्रति एवं आरआरटी 2018 (1) पेज 642 हस्ती सीमेन्ट प्रा.लि. वगैरा बनाम सन्दीप चारण वगैरा की नजीरे पेश की गई।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं पत्रावली के साथ संलग्न अन्तर्गत धारा 212 की पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का आवलोकन करने पर पाया कि प्रतिवादीगण के विरूद्व न्यायालय द्वारा दिनांक 22.08.2013 को स्थगन जारी कर बहक प्रार्थी वादी एवं विरूद्व अप्रार्थी विपक्षी प्रतिवादी को मूल वाद के निस्तारण तक वादवर्णित आराजियात को रहन बय बक्षीय एवं अन्य किसी तरीके से अन्य को स्थानान्तरित नही करने का आदेश जारी किये गये थे बावजुद स्थगन एवं दौराने वाद के वादी द्वारा अगर कोई दस्तावेज पंजीयन कर भूमि विक्रय कर दी जाती है तो सम्पति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 52 के अनुसार वादी के हक हिस्से की सीमा तक दस्तावेज शुन्य है। अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि वादी द्वारा दिनांक 21.11.2012 को वाद दायर कराया गया है दौराने वाद किसी भी प्रकार का रहन बय बक्षीस बिना न्यायालय की अनुमति के अन्तरण नही हो सकता है। वाद के समर्थन में सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 में वर्णित प्रावधान की प्रति एवं राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय आरआरटी 2012 (1) लिखाराम बनाम बीरबल पेज 46 की प्रति पेश की गई एवं डीएनजे 2010 (1) पेज 421 सुरेन्द्रसिंह बनाम विश्वनाथ वगैरा की प्रति एवं आरआरटी 2018 (1) पेज 642 हस्ती सीमेन्ट प्रा.लि. वगैरा बनाम सन्दीप चारण वगैरा में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय की नजीरे पेश की गई जो इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है। इस प्रकरण में वर्णित भूमि वादी की पैतृक भूमि है वादी का जन्म से अधिकार है ऐसी स्थिति में वादवर्णित खाता संख्या 379 में दर्ज आराजी संख्या 880, 881, 888 मे 1/18 हिस्सा एवं खाता संख्या 377 में दर्ज आराजी 423 में वादी का 1/9 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम जोगरास के खाता संख्या 379 में अकिंत आराजी संख्या 880 रकबा 0.07 है0, 881 रकबा 0.15 है0, 888 रकबा 0.21 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 है0 भूमि में वादी को 1/18 हिस्से का एवं इसी प्रकार खाता संख्या 377 में अकिंत आराजी संख्या 423 रकबा 2.16 है0 भूमि में 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.30 17:46:05 IST
Reason: SelfAttested

21.01.2021
सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–107/12 (2012/00069) वाद पत्र

उनवान

1–हरिओम आत्मज श्यामलाल सेन (नाई) निवासी जोगरास तहसील रायपुर हाल निवास भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–श्यामलाल आत्मज सोहन नाई निवासी जोगरास हाल निवास डेलाना तहसील सहाड़ा
2–प्रेमी पुत्री सोहन नाई निवासी जोगरास हाल निवास घोड़ास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
3–चान्दी पुत्री सोहन नाई निवासी जोगरास हाल निवास घोड़ास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
4–रेखा पुत्री श्यामलाल नाई नि. जोगरास हाल निवास तिलोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
5–बालु आत्मज नगंजी नाई निवासी जोगरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहेाली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
7–उपपंजीयक महोदय रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम जोगरास के खाता संख्या 379 में अकिंत आराजी संख्या 880 रकबा 0.07 है0, 881 रकबा 0.15 है0, 888 रकबा 0.21 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 है0 भूमि में वादी को 1/18 हिस्से का एवं इसी प्रकार खाता संख्या 377 में अकिंत आराजी संख्या 423 रकबा 2.16 है0 भूमि में 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

वाद में डिक्री आज दिनांक 21.01.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

21.01.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.30 17:46:05 IST
Reason: SelfAttested